

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक— 427 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, अगस्त, 02- 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:— जनपद— सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना ( एल0डब्लू0 ई0) के अन्तर्गत सुवर स्रोत खुर्द से सियरिया मार्ग कि0मी0 0.00 से 19.200 तक के चौडिकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 11.7900 हें0 वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 112 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के संबंध में।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या— एफ0पी0/यू0पी0/रोड/119900/2021)

सन्दर्भ:— प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र का पत्र संख्या— 160/सोनभद्र/33 दिनांक 27.07.2022  
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र ने अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद—सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना ( एल0डब्लू0 ई0) के अन्तर्गत सुवर स्रोत खुर्द से सियरिया मार्ग कि0मी0 0.00 से 19.200 तक के चौडिकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 11.7900 हें0 वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 112 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के संबंध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या— एफ0पी0/यू0पी0/रोड/119900/2021) परीक्षणोपरान्त वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव 04 प्रतियो मे मय सी0डी0 एवं पेन्डाइव सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत प्रेषित प्रस्ताव को इस स्तर से ऑनलाइन कर सस्तुति सहित 03 प्रतियो मे एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

सख्या— 427 / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र को उनके कार्यालय पत्रांक—160/सोनभद्र/33 दिनांक 27.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 2/8  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

## भाग- III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद- सोनभद्र के सोनभद्र वन प्रभाग अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना ( एल०डब्लू० ई० के अन्तर्गत सुवर स्रोत खुर्द से सियरिया मार्ग कि०मी० ०.०० से १९.२०० तक के चौडिकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल ११.७९०० हे० वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ११२ वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के संबंध में।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफ०पी०/यू०पी०/रोड/११९९००/२०२१)

|    |  |  |
|----|--|--|
| 14 | स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करे | नहीं।  |
| 15 | क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।   | हाँ।   |
| 16 | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारशें।   | प्रश्नगत प्रस्ताव की वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। |

दिनांक ०२-०९-२०२२

स्थान- मीरजापुर

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर